न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 51/09 GCMS NO 2009/00019

1. जगन पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास (मृतक)
2. प्रेमराज पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
3. किशनलाल पुत्र हरनारायण जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास

अपीलांट

बनाम

1. सूरजमल पुत्र मनसुखा जाति महाजन निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
2. कन्हैया पुत्र मनसुखा जाति महाजन निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास(मृतक)

2/1. संतोष पुत्र कन्हैया

2/2. उर्मिला पुत्री कन्हैया पत्नि हनुमान निवासी मलारना स्टेशन तहसील मलारना डूँगर

2/3. सत्यनारायण पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी तहसील लालसोट

2/4. मिटटू पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

2/5. विनोद पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी(हजफ)

2/6. पप्पू पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी (मृतक)

2/6/1. पॉची बेवा पप्पू जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

2/6/2. चन्दू पुत्र पप्पू जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

2/6/3. मनीषा पुत्री पप्पू उम्र 16 वर्ष जरिये संरक्षिका माता पांची जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

2/7. कुन्जीलाल पुत्र कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

2/8. श्रीमती रामेश्वरी पत्नि कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

2/9. मिथलेश पुत्री कन्हैया जाति महाजन निवासी नारौली चौड हालवासी मण्डावरी

3. बाबूलाल पुत्र मनसुखा जाति महाजन निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
4. भजन पुत्र हरफूल जाति मीना निवासी नारौली चौड तहसील बामनवास
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 215/02 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.09 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास)

अभिभाषक अपीला0 श्री रामकिशोर शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री महेश चंद अग्रवाल

दिनांक 20.1.2025

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.2.09 न्यायालय उप जिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा दावा घोषणा खातेदारी,इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ग्राम नारौली चौड के ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा वादीगण के पिता के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि रही है। जमाबंदी सम्वत 2016 से 2019 मे इन्द्राज खातेदारी वादीगण के पिता के नाम दर्ज है। प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर गलत रूप से वादीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि का इन्द्राज सम्वत 2019 मे रहन मुर्तहन दर्ज करा लिया। सम्वत 2019 मे ख0न0 2250 का नम्बर 590 रकबा 18 विस्वा बना व वर्तमान बन्दोबस्त मे नम्बर 1767 रकबा 28 ऐयर कायम हुआ। वादग्रस्त भूमि पर रहन मुर्तहन का इन्द्राज बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के व बिना किसी सक्षम न्यायालय की डिक्री के करा लिया है जो गलत है। इस गलत इन्द्राज की आड मे प्रतिवादीगण ने वादीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है। दिनांक 11.4.2000 को वादीगण को प्रतिवादीगण द्वारा धमकी दी गई कि वादग्रस्त भूमि की फसल से लाभान्वित नही होने देगे। इस कारण वादीगण का दावा विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जावे कि भूमि ख0न0 1767 रकबा 28 ऐयर के वादीगण काबिज काश्कार खातेदार टीनेन्ट है । रिकार्ड मे इसी प्रकार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की मजाहमत ना तो स्वयं करे ना किसी अन्य से करावे ना ही भूमि मे जबरन प्रवेश नही करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्रतिवादीगण 2 ता 4 द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी तजबीज में अपीलांट के इस उज्र को स्वीकार किया है कि 2282,2283 की आराजीयात अपीलांट के दादा सुखराम पुत्र हरिकिशन के नाम दर्ज रिकार्ड है प्रदर्श डी–1 से स्पष्ट है। इस रिकार्ड से ख0न0 2282 व 2283 रकबा 15 विस्वा की आराजीयात अपीलांट/प्रतिवादी की पैतृक आराजीयात [illegible] उसको महत्व नही देकर अधिनस्थ न्यायालय ने भूल की है। एकीकरण मे उक्त [illegible] स्थान पर नया नम्बर 598 रकबा 4 बीघा 3 विस्वा कायम किया है। रेस्पो0 1 ता 3 के [illegible] का नम्बर 2003 सेटलमेंट के समय 2250 रकबा 18 विस्वा [illegible] मे 2250 का नम्बर बदलकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

590 बनाया गया तथा ख0न0 2282,2283 का रकबा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के रकबो से लगता हुआ था। इसलिए एकीकरण के समय 2282 व 2283 का रकबा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 की आराजीयात मे मिलाकर एक चक व एक नम्बर 598 बना दिया तथा रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 के खातेदारी की आराजीयात ख0न0 2250 से बने नवीन ख0न0 590 को अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 4 की खातेदारी मे दर्ज कर दिया तथा इसी के अनुसार काबिज करा दिया। इस प्रकार एकीकरण के समय से ही अपीलांट ख0न0 590 पर बहैसियत खातेदार काबिज है। एकीकरण द्वारा जारी की गई पास बुक अवधि बन्दोबस्त सम्वत 2003 से 2022 मे भूमि ख0न0 590 रकबा 18 विस्वा वाके तन ग्राम नारौली अपीलांट के पिता हरफूल वगै0 मे नाम खातेदारी मे दर्ज है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा जारी की गई पासबुको को अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा मे प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ प्रस्तुत किया था जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि ख0न0 590 अपीलांट के पिता हरफूल की खातेदारी मे रही है। फिर भी अपीलांट की जबाबदेही के विशेष विवरण के मद न0 18 को समझे बिना अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी तजबीज की है। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 ने एकीकरण के समय अपीलांट की आराजी ख0न0 2282,2283 से बने ख0न0 595 को स्वयं को खातेदार व काबिज होना स्वीकार कर ख0न0 598 से बने नवीन नम्बर 1727,1728,1730,1736 को रामकन्या पत्नि केदार को बिक्री कर दिया। उक्त बिक्री का तथ्य स्पष्ट करता है कि रेस्पो0 व अपीलांट एकीकरण के अनुसार काबिज हो गये। उक्त तथ्य पत्रावली मे होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने एकीकरण द्वारा अपीलांट की खातेदारी के बदले मे प्राप्त आराजी नम्बर 1767 की आराजी को रेस्पो0संख्या 1 ता 3 की आराजी मानकर कानूनी भूल की है। तहसीलदार का कर्तव्य था कि एकीकरण के बदलाव का अधिनस्थ न्यायालय को ध्यान दिलाना चाहिए था ताकि अधिनस्थ न्यायालय को सच्चा न्याय करना संभव होता। रेस्पो0 की नियत मे बेईमानी आ जाने के कारण उनकी खातेदारी की एवज मे एकीकरण के अधिकारियो द्वारा अपीलांट की खातेदारी की जमीन दिये जाने के बाद भी उस जमीन को बेच कर उससे लाभ अर्जित कर लिया गया। अपीलांट की एकीकरण अधिकारियो द्वारा बदले मे दी जमीन को हडप करने के लिए दावा कर दिया गया। रेस्पो0 संख्या 1 ता 3 द्वारा बिक्री की गई जमीनो का केता के नाम नामा0 खोला हुआ है जिसका इन्द्राज जमाबंदी मे दर्ज है। इस महत्वपूर्ण दस्तावेज को रेस्पो0 ने अदालत मे छिपाकर धोका देकर अपने पक्ष मे निर्णय कराया है। अपीलांट विवादित आराजीयात पर बहैसियत खातेदार लीगल व फिजीकली काबिज है। रेस्पो0 को इन्द्राज दुरूस्ती कराने का किसी प्रकार का स्थाई निषेधाज्ञा संबंधी रिलीफ प्राप्त करने का अधिकार नही है। इस कारण अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री [illegible]

रेस्पो0 के अधिवक्ता ने अपनी बहस [illegible] रकबा 15 विस्वा वादीगण/रेस्पो0 के पिता के कब्जे [illegible] जिसे गलत रूप से अपीलांट/प्रतिवादीगण ने राजस्व कर्मचारियो से मिलकर गलत रूप से भूमि का इन्द्राज सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

2019 मे रहन मुर्तहीन दर्ज करवा लिया गया। सम्वत 2019 मे ख0न0 2250 का नम्बर 590 रकबा 18 विस्वा बना व वर्तमान बन्दोबस्त मे नम्वत 1767 रकबा 28 ऐयर कायम किया है। उक्त आराजीयात पर रहन मुर्तहीन का इन्द्राज बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के कराया गया है जो विधि विरूद्व होने से निरस्त योग्य था। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र मे 7 तनकीयात कायम की गई। जिसमे तनकी संख्या 1 व 2 वादी/रेस्पो0 के पक्ष मे निर्णित की गई है जिसमे नकल जमाबंदी सम्वत 2016–19 प्रदर्श 1 के अनुसार भूमि ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा मनसुखा पुत्र गल्ला महाजन सा0देह की खातेदारी मे दर्ज होना अंकित किया है। नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 प्रदर्श 8 व नकल खसरा गिरदावरी 2017 से 2018 प्रदर्श 7 के अनुसार ख0न0 2250 पर खातेदार मनसुखा की काश्त दर्ज है। इस प्रकार आराजी ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा वादीगण/रेस्पो0 के पिता मनसुखा की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित होता है। इसी प्रकार तनकी संख्या 2 मे भूमि को गलत रूप से एकीकरण द्वारा रहन मुर्तहीन का इन्द्राज करने का तथ्य भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा माना गया है। राजस्व रिकार्ड मे भूमि वर्तमान मे रहन मुर्तहीन होना भी राजस्व रिकार्ड से साबित होता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकीवाईज किये गये विवेचन एवं विश्लेषण से साबिक नम्बर 2250 को वादीगण/रेस्पो0 के पिता की आराजीयात माना गया है। जो राजस्व रिकार्ड से स्पष्ट साबित है। एकीकरण के दौरान विवादित आराजीयात अपीलांट/प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड मे गलत रूप से खातेदारी मे दर्ज कर रहन मुर्तहीन कर दी गई थी। जिसे वादीगण/रेस्पो0 सही कराने का अधिकार रखने के कारण ही दुरूस्त कराने का अधिकारी होने से ही अधिनस्थ न्यायालय मे वाद पत्र पेश कर विधि अनुसार वाद पत्र डिक्री कराया गया है। जो विधिक रूप से सही होने से अपीलांट की अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया जिससे यह तथ्य सामने आये कि ख0न0 2250 रकबा 18 विस्वा की खातेदारी मनसुखा बल्द गलजी महाजन के नाम दर्ज है। नकल गिरदावरी सम्वत 2009 से 2012 प्रदर्श 7 व 2017 से 2018 प्रदर्श 8 मे मनसुखा की काश्त दर्ज है। तनकी संख्या 1 गलत रूप से वादी के पक्ष मे तय की गई है क्योकि एकीकरण मे चक बनाने के हिसाब से भूमि दी गई थी ना ही कब्जे के हिसाब से अर्थात एकीकरण मे वादी की भूमि प्रतिवादीगण के खातेदारी मे तथा प्रतिवादीगण की भूमि वादीगण की खातेदारी मे दे दी गई। जिससे वादीगण को प्रतिवादीगण की भूमि पर एकीकरण ने ख0न0 590 कायम कर दे दी गई तथा प्रतिवादीगण को वादीगण की भूमि ख0न0 2282 व 2283 देकर उसका एकीकरण द्वारा ख0न0 598 कायम कर एक चक कर दिया गया जिनके दौराने सेटलमेंट नये ख0न0 कायम कर खातेदारी एकीकरण खसरा नम्बर अनुसार [illegible] न्यायालय द्वारा जिस आराजी की कमी पूर्ति बाबत निर्णय किया है वह आराजी एकीकरण [illegible] मे एकीकरण के उद्देश्य से एक दुसरे खातेदारान की आराजीयात मिलाकर [illegible] गये है जिनको अब

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:27 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

प्रश्नगत नही किया जा सकता है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतःअपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 215/02 निर्णय व डिकी दिनांक 27.2.09 को अपास्त किया जाता है। विवादित आराजीयात के बाबत यदि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना मे किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो तो किये गये परिवर्तन निरस्त किये जावे तथा विवादित आराजीयात की दावे से पूर्व की राजस्व रिकार्ड की स्थिति बहाल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मीकांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Balot
Date: 2025.03.27 16:15:27 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner